

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं04, पीलीभीत ।

उपस्थित: अनु सक्सेना,..... उच्चतर न्यायिक सेवा (J.O.Code UP 6334)

विशेष सत्र परीक्षण सं0-1899/2022

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

मुन्ना पुत्र रहमतुल्ला निवासी सुपर ग्रिल वर्क्स पीलीभीत रोड़ पूरनपुर कस्बा व थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत ।

..... अभियुक्त

मु0अ0सं0-62/2014

अंतर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम

थाना पूरनपुर

जिला-पीलीभीत ।

दिनांक: 13.12.2025 (राष्ट्रीय लोक अदालत)

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त मुन्ना मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये । अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया ।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर दिनांक 17.01.2014 को समय करीब 18.00 बजे से 21.00 बजे तक बहद सुपर ग्रिल वर्क्स, निकट अमर मिष्ठान भण्डार कस्बा व थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत में वादी मुकदमा प्रकाश चन्द्र सागर, अवर अभियन्ता प्रवर्तन दल बरेली जोन द्वारा दल के अन्य सदस्यों के साथ विद्युत चोरी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु चेकिंग की गयी तो चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त केबिल पास से गुरजती एल0टी0लाइन से डालकर 03 किलोवाट वाणिज्यिक विद्युत भार का उपभोग करने का आरोप है ।

धारा 152 (2) उपधारा (1) के अनुसार धन की राशि का संदाय होने पर, उसे अपराध के सम्बंध में अभिरक्षा में कोई भी कार्यवाही संस्थित अथवा जारी नहीं की जायेगी ।

धारा 152 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले में तहसील पूरनपुर भेजी गयी आर0 सी0 के अनुसार जमा की गयी रसीदों की प्रति जो पत्रावली में संलग्न है व साक्षी पी0डब्ल्यू01 प्रकाश चन्द्र सागर उपखंड अधिकारी के ब्यान के अनुसार प्रस्तुत मामले में कराधन व शमन शुल्क जमा कराया जा चुका है तथा अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र पर इसी आशय की आख्या विद्युत विभाग के नामिका अधिवक्ता द्वारा दी गयी है ।

अतः प्रस्तुत प्रकरण की तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वाद की कार्यवाही चलाये जाने का कोई आधार नहीं है । तदनुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में संग्रहीत हो ।

दिनांक: 13.12.2025

(अनु सक्सेना)

विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0:4,

पीलीभीत ।